

3638  
12-9-06

Request - 120

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,  
मुरादाबाद ।

14077

सेवा में,

श्री के. सी. श्रीवास्तव,  
उप-निबन्धाक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद ।

Reg. No.	14077
Date	12/9/06
Serial	14/3479

15/9/06

पत्रांक 1154 /2006 प्रशा० मुरादाबाद, दि० : 5/9/06

विषय :- माननीय उच्च न्यायालय के परिषद सं० : 31/2006 दिनांक 29.10.2005 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं० : 9073/प्रशा०

ए-4१ दिनांक 13.7.2006 के सम्बन्ध में आपको अवगत करना है कि माननीय उच्च न्यायालय के परिषद सं० : 31/2005 दिनांकित 29.10.2005 के अनुसार दिनांक 31.3.2004 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के धोखा पत्र इस आशय के प्राप्त किए गए हैं कि उनके द्वारा सरकारी सेवा में आने के उपरान्त विवाह के सम्बन्ध में कोई दहेज नहीं लिया गया है । जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की धोखा इस पत्र के साथ संलग्न करके आपको प्रेषित की जा रही है, उनके नाम निम्नवत हैं ।

15 3638  
S.O. Admin. M/A

D.R.(M)  
12-9-06

भवदीय  
जनपद न्यायाधीश  
मुरादाबाद ।

orig. 11/3253

1. श्रीमती सोनिका चौधारी, सिविल जज & जू.डि., मुरादाबाद ।
2. श्री ब्रजेन्द्र कुमार बाण्डेय, सिविल जज & जू.डि., मुरादाबाद ।
3. श्री जितेन्द्र सिंह, सिविल जज & जू.डि., मुरादाबाद ।
4. श्री दिनकर श्रीवास्तव, प्रतिलिपिक ।
5. श्री बवन कुमार सिंह, प्रतिलिपिक ।
6. श्री जबर अब्बास जैदी, प्रतिलिपिक ।
7. श्री रियाज अली, प्रतिलिपिक ।
8. श्री मोहित शर्मा, प्रतिलिपिक ।
9. श्री चन्द्रबाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ।
10. श्री नितिन कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ।
11. श्री महेश चन्द्र, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ।
12. श्री बजाब सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ।
13. श्री रमेश कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ।
14. श्री कपूरल हसन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ।
15. श्री राजेन्द्र कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ।

Request-120

प्रेषक,

जितेन्द्र सिंह  
अपर सिविल जज J0डि0 / न्यायिक मैजिस्ट्रेट  
कक्षा सं-4, मुरादाबाद

सेवा में,

माननीय जसपट न्यायाधीश  
मुरादाबाद

विषय:- दहेज के संबंध में घोषणा।

माननीय महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मेरे द्वारा जनपद न्यायालय  
मुरादाबाद में दिनांक 16-6-2006 को कार्यार ग्रहण किया गया है।

मैं अभी तक अविवहित हूँ और घोषणा करता  
हूँ कि जब भी विवाह करूँगा तो किसी भी प्रकार का दान दहेज  
ग्रहण नहीं करूँगा। माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं० 31/05  
दिनांकित 19-10-05 व परिपत्र सं० 9073/प्रशासन १२०-4 दिनांकित  
13-7-06 के अनुपालन में तथा आपके आदेश दिनांक 03-8-06 के पत्र  
में घोषणा आपकी सेवा में प्रस्तुत है।

ससम्मान सहित।

दिनांक:-03-8-2006

भवदीय

जितेन्द्र सिंह

अपर सिविल जज J0डि0 / न्यायिक  
मैजिस्ट्रेट, कक्षा सं-4, मुरादाबाद